नये काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना के आवेदन हेतु आवश्यक शर्तें एवं दिशा निर्देश

1 (1) उत्तर प्रदेश वन विभाग की अधिकारिक वेबसाईट http://upforest.gov.in पर आवेदन पत्र आनलाईन माध्यम से भेजे जायेंगे ।

1(2) आवेदनकर्ता प्रदेश के विभिन्न प्रभागीय वनाधिकरियों के कार्यालय से आनलाईन आवेदन पत्र भेजने से सम्बन्धित कठिनाईयों के निराकरण एवं सहायता हेतु सम्पर्क कर सकते हैं । सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारियों का टेलीफोन नम्बर एवं अन्य विवरण उपरोक्त विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।

2- आवेदनकर्ता की उम्र आवेदन की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम न हो ।

3- काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु नये लाईसेंसों का आवेदन वर्तमान मे चार श्रेणियों मे किया जा सकता है ।

4- राज्य स्तरीय समिति द्वारा उपलब्ध प्रकाष्ठ के आधार पर युक्तिसंगत मशीनों की संख्या निर्धारित करेंगी जिसके लिये श्रेणीवार न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या आवेदनकर्ता हेतु निम्न प्रकार होगी:-

क्रम सं0	काष्ठ आधारित उद्योग के प्रकार	मशीनों की न्यूनतम संख्या	मशीनों की अधिकतम संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	**Saw Mill**	One HBS or One VBS	One HBS and One VBS or two VBS	
2	**Veneer Unit**	One peeler of 48 inches or one peeler of 96 inches or one peeler of 108 inches	Two peelers of 48 inches or one peeler of 96 inches or one peeler of 108 inches	द्
3	**Plywood Unit**	One peeler of 48 inches + one VBS + one press with size and number of daylights or applicant's choice	Two peeler of 48 inches + one or two VBS + two presses with size and number of daylight of applicant's choice.	Additional one-time payment of Rs. 60000/- per daylights after 10 daylights
4	**Press Unit**	One press with size and number of daylights as per applicant's choice	Two presses with size and number of daylights as per applicant's choice	Additional one time payment of Rs. 60,000/- per daylight after 10 daylights.

5(1) प्रत्येक आवेदनकर्ता एक श्रेणी के लिये मात्र एक आवेदन पत्र जमा कर सकता है ।

5(2) इसकी वैधानिक स्थिति व्यक्तिगत, प्रोपराईटर शिप फर्म, साझेदारी फर्म, व्यक्तियों का समूह, एसोसियेशन आफ पर्सन्स , हिन्दू अविभाजित परिवार (HUF) प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, सरकारी विभाग, उपक्रम विभाग हो सकता है ।

5(3) यदि कोई आवेदनकर्ता एक से अधिक श्रेणी मे लाईसेंस हेतु आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक श्रेणी के लिये अलग अलग आवेदन करना अनिवार्य है ।

5(4) एक से अधिक श्रेणी मे आवेदनकर्ता के सफल होने पर लिखित इच्छित श्रेणी का केवल एक ही लाईसेंस स्वीकृत किया जायेगा ।

6(1) काष्ठ आधारित उद्योगों की वर्णित श्रेणियों मे राज्य स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा मे निर्णय लाटरी के माध्यम से किया जायेगा ।

6(2) लाटरी के माध्यम से भी यदि कोई आवेदनकर्ता एक से अधिक श्रेणी मे सफल होता है तब उसकी लिखित इच्छित श्रेणी का केवल एक ही लाईसेंस स्वीकृत किया जायेगा ।

7(1) आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदित श्रेणी की एकमुश्त (Onetime payment)भुगतान करना होगा।

7(2) प्रत्येक श्रेणी के लिये Non Refundable एवं Non Adjustable प्रोसेसिंग फीस जमा करना होगा ।

7(3) असफल होने पर आवेदनकर्ता द्वारा जमा की गयी एकमुश्त धनरशि 03 माह बाद बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी ।

One time जमा किये जाने वाला स्थापना शुल्क , जो कि नवीनीकरण शुल्क से अतिरिक्त होगा, श्रेणीवार प्रस्तावित किया जाता है:-

Name of Category	One Time payment Amount (Rs.) for establishment, Renewal fees not inclusive	Processing Fee Non refundable and non adjustable	Remark
Saw Mill VBS per Saw	20,000/-	5000/-	Processing fee will be charged per Saw Mill unit
Saw Mill HBS per Saw	2,00,000/-		
Veneer Mill	6,00,000/-*	10000/-	*For per 4 feet peeler (One Time Payment amount will proportionately increase with length and number of peeler.
Plywood Mill	15,00,000/-@	20000/-	@per press of any size and number of daylights. Additional one-time payment of Rs. 60,000/- per daylight after 10 daylights in each press.

8- भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 16.11.2016 के साथ संलग्न एनेक्जर-1 जो इंडियन प्लाईवूड इंड0 रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट (IPIRTI, Banglore) से स्पष्ट है कि प्लाईवुड प्रकाष्ठ का प्राईमरी कंज्यूमर नही है , इसलिये प्लाईवुड मे प्रकाष्ठ का उपयोग शून्य माना जा सकता है । इसलिए आवेदनकर्ता 10 डेलाईट से अधिक अपने उपयोग हेतु प्रति डेलाईट 60,000/- रूपया अधिक देकर किसी भी संख्या मे डेलाईट प्राप्त कर सकता है ।

9- प्रत्येक सफल आवेदक के एक लेटर आफ आफत दिया जायेगा जिसके एक माह के अन्दर आवेदक द्वारा लेटर आफ ऐक्सेप्टेंस विभाग को दिया जायेगा । लेटर आफ आफर के साथ ही लेटर आफ ऐक्सेप्टेंस का प्रारूप उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

10- यदि आवेदक को लेटर आफ आफर भेजा जाता है एवं उसके बाद लेटर आफ ऐक्सेप्टेंस निर्धारित अवधि एक माह के अन्दर न भेजे जाने पर उसे रिजेक्शन आफ आफर मानते हुए आवेदित श्रेणी में स्थापना हेतु जमा एकमुश्त

धनराशि का 20 प्रतिशत की राशि काटकर अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी जिस के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा ।

11-सफल आवेदक जिसे लेटर आफ आफर जारी किया गया है उस तिथि से 03 साल तक विक्रय/ स्थानांतरित नही कर सकेगा । विरासत/ व्यवसाय के विभाजन की स्थिति मे एकमुश्त जमा की जाने वाली धनराशि का 50 प्रतिशत स्थानांतरण शुल्क लेकर स्थानांतरित /नामांतरित की जा सकेगी ।

12- प्रत्येक आवेदनकर्ता आवेदन पत्र मे यह घोषणा करेगा कि वह काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना एवं संचालन हेतु सभी नियमों , निर्देशों तथा निर्णयों का पालन करेगा । इसके अतिरिक्त उसके द्वारा काष्ठ आधारित उद्योग (स्थापना एवं विनियमन) गाईडलाईंस 2016 के अनुसार राजय स्तरीय समिति एवं इसके द्वारा अधिकृत अन्य सरकारी प्राधिकरणों एवं न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्देशों एवं निर्णयों का पालन करेगा तथा प्रत्येक आवेदक किसी भी प्रकार से वन अपराध मे लिप्त नही है, की घोषणा करेगा ।

(ओ0पी0 सिंह)
वन संरक्षक/स्टाफ आफिसर
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
हेड आफ फारेस्ट फोर्स लखनऊ